[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 67/2018 - सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 26th सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ) :- जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 39, 40, 42, 64, 71 और 84 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्‌यमान हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है ।

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्‌द्‌वारा, निर्देश देती है कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा;

उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में;-

(क) खंड VII में, -

(i) अध्याय 39 में, 3922, 3923, 3924 और 3926 के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “15%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अध्याय 40 में, टैरिफ मद 4011 10 10 के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “15%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड VIII में, अध्याय 42 में, शीर्ष 4202 के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “15%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड XII में, अध्याय 64 में, शीर्ष 6401, 6402, 6403, 6404 और 6405 के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “25%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) खंड XIV में, अध्याय 71 में, शीर्ष 7113 और 7114 के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ड.) खंड XVI में, अध्याय 84 में,-

(i) टैरिफ मद 8414 30 00 और 8414 80 11 के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप शीर्ष 8415 10, 8415 20, 8415 81, 8415 82 और 8415 83 के सभी टैरिफ मदों के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) टैरिफ मद 8418 10 90, 8418 21 90 और 8418 29 00 के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) टैरिफ मद 8450 11 00, 8450 12 00 और 8450 19 00 के समक्ष कॉलम (4) में आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 27 सितम्बर, 2018 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/374/2018-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार